(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

**अधिसूचना सं. 13 /2015–2020**

नई दिल्ली, दिनांकः 21 जून, 2022

**विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–12 के आईटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के तहत तरबूज के बीज की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।**

सा. आ. (अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–12 के आईटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के तहत नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

| आईटीसी (एचएस) कोड | विवरण | मौजूदा आयात नीति | संशोधित आयात नीति | मौजूदा नीतिगत शर्त | संशोधित नीतिगत शर्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 12077090 | तरबूज के बीज–अन्य | प्रतिबंधित | प्रतिबंधित | आयात अध्याय के नीतिगत शर्त (4) के अधीन | I. आयात अध्याय के नीतिगत शर्त (4) के अधीन।<br>II. तरबूज के बीज की आयात नीति, दिनांक 30.09.2022 तक "मुक्त" है।<br>III. निर्यात करने वाले देशों से दिनांक 30.09.2022 तक किया गया तरबूज के बीज का पोतलदान भारतीय सीमा शुल्क पत्तन पर निकासी हेतु अनुमत होगा बशर्ते कि, प्रविष्टि बिल फाइल की गयी हो और ऐसे माल को दिनांक 31.10.2022 तक जांच हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारी को सौंपा जाए।<br>IV. तरबूज के बीज का आयात केवल कांडला (आईएनआईएक्सवाई1) और मुंद्रा (आईएनएमयूएन1) पत्तनों से अनुमत होगा। |

सं. सारंगी

**इस अधिसूचना का प्रभाव:** आईटीसी (एचएस) कोड 12077090 के तहत आने वाले तरबूज के बीज का आयात दिनांक 30.09.2022 तक ''मुक्त'' है। यह आयात केवल कांडला (आईएनआईएक्सवाई1) और मुंद्रा (आईएनएमयूएन1) पत्तनों से अनुमत होगा।

संतोष कुमार सारंगी
21.6.2022

**(संतोष कुमार सारंगी)**
**महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं**
**पदेन अपर सचिव, भारत सरकार**
**ई–मेल: dgft@nic.in**

(फा. सं. 01/89/180/14/एएम 21/पीसी–2(क)/ई–28288 से जारी)